JNPA Grants Relief Measures by the Waiver of Storage, Dwell Time and Reefer Plug-in Charges for the Middle East–Bound Export Containers

Mumbai, March 10, 2026: Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's largest container port, on Tuesday, has issued a trade notice for immediate compliance by all concerned, to mitigate the hardships faced by port users due to the ongoing geopolitical disturbances in the Middle East.

In line with the directives of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), JNPA is extending support to the EXIM community to help mitigate the impact of the ongoing crisis. The port has announced a waiver on charges such as ground rent and reefer plug-in fees for stranded export containers.

In addition to the measures already undertaken by JNPA, such as the BTT initiative and the temporary transshipment facility, JNPA, in coordination with its terminal operators, has decided to implement the following additional measures to ease the burden on exporters whose cargo bound for ports and terminals in the Middle East has been affected by the recent geopolitical disturbances:

1. All Terminal Operators shall give 100% waiver on ground rent / dwell time charges up to 15 days (from 0000 hours on 28.02.2026 up to 2400 hours on 14.03.2026) for containers which were lying inside the Terminals from 28th February 2026 or those which had gated in till 0700 hours on 08.03.2026.
2. All Terminal operators shall waive 80% of the reefer plugin charges up to 15 days (from 0000 hours on 28.02.2026 till 2400 hours on 14.03.2026) to those stranded reefer containers loaded with perishable goods, which were lying inside from 28th February 2026 or those which had gated in till 0700 hours on 08.03.2026 only.
3. The shipping lines, NVOCC, Freight Forwarders are directed to ensure that these benefits are passed on to the actual exporters.

Expressing his views on this decision, Shri Gaurav Dayal, IAS, Chairperson, JNPA said, "JNPA stands firmly with the EXIM community in navigating the challenges arising from the current geopolitical situation in the Middle East. Our priority is to mitigate the impact on exporters and ensure continuity of trade, while ensuring that no single industry or community bears an undue financial burden. We will continue to explore additional measures to facilitate trade and support the EXIM ecosystem."

Exporters and trade stakeholders are advised to coordinate with their respective terminal operators and shipping lines for availing the above relief measures. JNPA will continue to review the situation and take further steps, if required, in the interest of the trade.

About Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA)

Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), commissioned in 1989, is India's largest container port and a key gateway for the country's international trade. The port operates five container terminals and handles a significant share of India's containerised EXIM cargo. JNPA also manages a multi-product Special Economic Zone (SEZ) aimed at boosting export-led industrial growth. In addition, JNPA is developing the Vadhvan Port in Maharashtra, envisioned to be among the largest deep-draft ports in the world and India's first green port of its scale.

For media enquiries, please contact:
Ambika Singh
Sr. Manager (Marketing), JNPA
Mob: +91 9920372677
E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in

Visit our website and social media to learn more:
JN Port: www.jnport.gov.in
LinkedIn: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority
X: @JNPort
Instagram: @jnpaport
Facebook: @JNPA

— Ends —

मध्यपूर्वेकडे निर्यात होणाऱ्या कंटेनर्ससाठी जेएनपीएकडून दिलासा; स्टोरेज, ड्वेल टाइम आणि रीफर प्लग-इन शुल्क माफ

मुंबई, 10 मार्च 2026: भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या राजकीय अशांततेमुळे बंदर वापरकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी, मंगळवारी सर्व संबंधितांना तात्काळ पालन करण्यासाठी एक व्यापार सूचना जारी केली आहे.

बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, जेएनपीए सध्याच्या संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आयात निर्यात समुदायाला पाठिंबा देत आहे. बंदराने अडकलेल्या निर्यात कंटेनरसाठी ग्राउंड रेंट आणि रीफर प्लग-इन शुल्क यासारख्या शुल्कात सवलत जाहीर केली आहे.

जेएनपीएने आधीच हाती घेतलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त, जसे की बीटीटी उपक्रम आणि तात्पुरती ट्रान्सशिपमेंट सुविधा, जेएनपीएने त्यांच्या टर्मिनल ऑपरेटर्सशी समन्वय साधून, मध्य पूर्वेतील बंदरे आणि टर्मिनल्सकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीवर अलिकडच्या राजकीय अशांततेचा परिणाम झाला आहे अशा निर्यातदारांवरील भार कमी करण्यासाठी खालील अतिरिक्त उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे:

- 28 फेब्रुवारी 2026 पासून टर्मिनल्समध्ये पडून असलेल्या किंवा 08.03.2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत गेट केलेल्या कंटेनरसाठी सर्व टर्मिनल ऑपरेटर 15 दिवसांपर्यंत (28.02.2026 रोजी सकाळी 0000 तासांपासून ते 14.03.2026 रोजी रात्री 2400 तासांपर्यंत) ग्राउंड रेंट / राहण्याचा वेळ शुल्क 100% सूट देतील.
- सर्व टर्मिनल ऑपरेटर नाशवंत वस्तूंनी भरलेल्या अडकलेल्या रीफर कंटेनरना, जे 28 फेब्रुवारी 2026 पासून आत पडले होते किंवा जे फक्त 08.03.2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत गेट इन केले होते, त्यांना 15 दिवसांपर्यंत (28.02.2026 रोजी सकाळी 0000 ते 14.03.26 रोजी रात्री 2400 पर्यंत) रीफर प्लगइन शुल्काच्या 80% माफ करतील.
- शिपिंग लाईन्स, एनव्हीओसीसी, फ्रेट फॉरवर्डर्सना हे फायदे प्रत्यक्ष निर्यातदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयावर आपले मत व्यक्त करताना, जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री गौरव दयाल, भा. प्र. से. म्हणाले, "मध्य पूर्वेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जेएनपीए आयात निर्यात समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. निर्यातदारांवर होणारा परिणाम कमी करणे आणि व्यापाराची सातत्य सुनिश्चित करणे हे आमचे प्राधान्य आहे, तसेच कोणत्याही एका उद्योगावर किंवा समुदायावर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही याची खात्री करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. आम्ही व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि आयात निर्यात परिसंस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनांचा पर्याय तपासत राहू."

निर्यातदार आणि व्यापार भागधारकांना वरील मदत उपायांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या संबंधित टर्मिनल ऑपरेटर आणि शिपिंग लाइन्सशी समन्वय साधण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. जेएनपीए परिस्थितीचा आढावा घेत राहील आणि गरज पडल्यास व्यापाराच्या हितासाठी आवश्यक असलेली पुढील पावले उचलेल.

मीडिया चौकशीसाठी, कृपया संपर्क साधा:

जनेप प्राधिकरण:
अंबिका सिंग
सीनियर मॅनेजर (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण
मोबाईल क्रमांक: +919920372677
ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

अधिक माहितीसाठी आमच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडियाला भेट द्या:

जेएन पोर्ट : www.jnport.gov.in
लिंक्डइन: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority
एक्स: @JNPort
इंस्टाग्राम: @jnpaport
फेसबुक: @JNPA

जेएनपीए ने मध्य पूर्व जाने वाले निर्यात कंटेनरों के लिए भंडारण, ठहराव समय और रीफर प्लग-इन शुल्क माफ करके राहत उपाय प्रदान किए।

मुंबई, 10 मार्च, 2026: भारत के सबसे बड़े कंटेनर पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने मंगलवार को मध्य पूर्व में चल रही राजनीतिक अशांति के कारण पटट्म उपयोगकर्ताओं को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा तत्काल अनुपालन हेतु एक व्यापार सुचना जारी कि है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, जेएनपीए मौजूदा संकट के प्रभाव को कम करने में सहकार्य करने के लिए निर्यात और आयातित मालवाहक समुदाय को सहायता प्रदान कर रहा है। पत्तन में फंसे हुए निर्यात कंटेनरों के लिए ग्राउंड रेंट और रीफर प्लग-इन शुल्क जैसे शुल्कों में छूट की घोषणा की है।

जेएनपीए द्वारा पहले से ही किए गए उपायों, जैसे कि बीटीटी पहल और तात्कालिक ट्रांसशिपमेंट सुविधा के अतिरिक्त, जेएनपीए ने अपने टर्मिनल प्रचालकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह निर्णय लिया है कि हाल ही में मध्य-पूर्व क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जिन निर्यातकों का माल वहाँ के पत्तनों और टर्मिनलों के लिए भेजा जाना प्रभावित हुआ है, उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएंगे:

- सभी टर्मिनल प्रचालक 28 फरवरी 2026 से टर्मिनल के अंदर पड़े कंटेनरों या 8 मार्च 2026 को सुबह 7 बजे तक टर्मिनल में प्रवेश कर चुके कंटेनरों के लिए ग्राउंड रेंट/ड्वेल टाइम शुल्क पर 15 दिनों तक (28 फरवरी 2026 को 0000 बजे से 14 मार्च 2026 को 2400 बजे तक) 100% छूट देंगे।
- सभी टर्मिनल प्रचालक उन रीफर कंटेनरों, जिनमें नाशवंत वस्तुएँ भरी हुई हैं और जो मध्य-पूर्व की स्थिति के कारण फँस गए हैं, के लिए रीफर प्लग-इन शुल्क में 80% की छूट अधिकतम 15 दिनों तक प्रदान करेंगे (0000 घंटे 28.02.2026 से 2400 घंटे 14.03.2026 तक)। यह छूट केवल उन कंटेनरों पर लागू होगी जो 28 फरवरी 2026 से टर्मिनल के भीतर पड़े हुए थे या 08.03.2026 को 0700 बजे तक टर्मिनल में गेट-इन हो चुके थे।
- शिपिंग कंपनियों, एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डर्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ये लाभ वास्तविक निर्यातकों तक पहुंचाए जाएं।

इस निर्णय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, जेएनपीए के अध्यक्ष श्री गौरव दयाल, भा. प्र. से. ने कहा, "जेएनपीए मध्य पूर्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में आयात निर्यात समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारी प्राथमिकता निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना और व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी उद्योग या समुदाय पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े। हम व्यापार को सुगम बनाने और आयात निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार करना जारी रखेंगे।"

निर्यातकों और व्यापारिक हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त राहत उपायों का लाभ उठाने के लिए अपने-अपने टर्मिनल प्रचालकों और शिपिंग लाइनों से समन्वय करें। जेएनपीए स्थिति की समीक्षा करना जारी रखेगा और व्यापार के हित में आवश्यकता पड़ने पर आगे के कदम उठाएगा।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है और देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेशद्वार माना जाता है। इस पत्तन पर पाँच कंटेनर टर्मिनल प्रचालित होते हैं और यह भारत के कंटेनरीकृत आयात निर्यात कार्गो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है। जेएनपीए एक मल्टी-बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य निर्यात-आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, जेएनपीए महाराष्ट्र में वाढवण पत्तन का विकास भी कर रहा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े गहरे ड्राबाव वाले पत्तनों में से एक तथा अपने पैमाने पर भारत का पहला हरित पत्तन बनने की परिकल्पना की गई है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जाएँ:

जेएन पोर्ट : www.jnport.gov.in

लिंक्डइन: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority

एक्स: @JNPort

इंस्टाग्राम: @jnpaport

फेसबुक: @JNPA

मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:

अंबिका सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन), जनेप प्राधिकरण

मोबाइल नंबर: +91 9920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in